संख्या-52/2024/।/520156/2024

प्रेषक,

अनिल कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनाँक 14 मार्च, 2024**

विषयः-वित्तीय वर्ष 2023-24 में केन्द्र पुरोनिधानित योजना (फेज-2) के अंतर्गत राजकीय मेडिकल कालेज, झांसी में 17 पी0जी0 सीटों की वृद्धि के सापेक्ष एम0डी0 ट्यूबर क्लोसिस एवं रेस्पीरेटरी विभाग का रिनोवेशन कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एम0ई0/बजट/2023-24/814, दिनांक 19.01.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा केन्द्र पुरोनिधानित योजना (फेज-2) के अंतर्गत राजकीय मेडिकल कालेज, झांसी में 17 पी0जी0 सीटों की वृद्धि के सापेक्ष एम0डी0 ट्यूबर क्लोसिस एवं रेस्पीरेटरी विभाग का रिनोवेशन कार्य हेतु कार्यदायी संस्था- उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन रू0 263.37 लाख के सापेक्ष रू0 5.00 करोड़ तक की योजनाओं/परियोजनाओं के व्यय प्रस्तावों के मूल्यांकन (अप्रेजल) एवं औचित्य के परीक्षण हेतु गठित तकनीकी समिति द्वारा परीक्ष्णोंपरान्त आकलित लागत रू0 248.68 लाख के क्रम में आवश्यक अग्रिम कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि अनु सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-यू014017/146/2019-एमई/।।-8035777, दिनांक 25.11.2022 द्वारा भारत सरकार की केन्द्र पुरोनिधानित योजना "Strengthening and upgradation of State government medical colleges for starting new PG disciplines and increasing PG Seats" (Phase-2) के अंतर्गत राजकीय मेडिकल कालेज, झांसी में 17 पी0जी0 सीटों की वृद्धि पर स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसके सापेक्ष रू0 20.40 करोड़ की लागत अनुमोदित की गयी। उक्त योजना का फ़ण्डिग पैटर्न 60:40 (केन्द्रांश+राज्यांश) है। शासनादेश संख्या-137/2023/।/404117/2023-71-1002/63/2023, दिनांक 10.10.2023 द्वारा राजकीय मेडिकल कालेज, झांसी में 17 पी0जी0 सीटों की वृद्धि हेतु केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित लागत रू0 20.40 करोड़ के सापेक्ष रू0 5.10 करोड़ (रू0 3.06 करोड केन्द्रांश+रू0 2.04 करोड़ राज्यांश) की धनराशि पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल के माध्यम से एस0एन0ए0 खाते में महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0 लखनऊ के निर्वतन पर कतिपय शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन रखी गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्र पुरोनिधानित योजना (फेज-2) के अंतर्गत राजकीय मेडिकल कालेज, झांसी में 17 पी0जी0 सीटों की वृद्धि के सापेक्ष **एम0डी0 ट्यूबर क्लोसिस एवं रेस्पीरेटरी विभाग का रिनोवेशन कार्य** हेतु तकनीकी समिति द्वारा आकलित लागत रू0 248.68 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा उपरिसन्दर्भित शासनादेश दिनांक 10.10.2023 द्वारा राजकीय मेडिकल कालेज, झांसी हेतु पी0जी सीटों की वृद्धि के सापेक्ष महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ के निवर्तन पर रक्षित धनराशि कुल रू0 5.10 करोड़ (रू0 3.06 करोड केन्द्रांश+रू0 2.04 करोड़ राज्यांश) में से प्रश्नगत परियोजना की प्रथम किश्त के रूप में **रू0 160.00 लाख (रू0 एक करोड़ साठ लाख मात्र) (रू0 106.00 लाख केन्द्रांश+रू0 54.00 लाख राज्यांश),** पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल के माध्यम से एस0एन0ए0 खाते से हस्तान्तरित किये जाने की राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

1. आगणन में प्राविधानित मदों की मात्राओं को यथावत् मानते हुए आगणन का परीक्षण किया गया है। आगणन में प्राविधानित वे मदें, जो डी0एस0आर0 में निहित है, का परीक्षण कर किया गया है। ऐसी मदें जो बाजार दरों पर आधारित है उनके सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था द्वारा सुसंगत वित्तीय नियमों के अंतर्गत न्यूनतम प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त कार्य सम्पादित कराया जाए।
2. आगणन में 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 का प्रावधान किया गया है, जो नियमानुसार देय होगा।
3. आगणन में 10 प्रतिशत सेंटेज का प्रावधान किया गया है, जो नियमानुसार देय होगा।
4. कार्यो में प्रयुक्त डिजाइन, सामग्री आदि हेतु कार्यदायी संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी।
5. आगणन में विभागीय दक्षता हेतु 05 प्रतिशत कम कर दिया गया है।
6. प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाए।
7. भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनॉक 17.03.2023 (यथासंशोधित) में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाये
9. प्रश्नगत कार्य के लिए निर्विवाद रूप से नियमानुसार भूमि उपलब्ध होने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
10. कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों तथा प्रायोजना को निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत पूर्ण किये जाने की जिम्मेदारी प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था की होगी।
11. महानिदेशक/प्रधानाचार्य द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

स्वीकृत नहीं की गई है। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित कार्यो की दुरावृत्ति नहीं हो रही है।

12. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
13. अवमुक्त की जा रही धनराशि को बैक एंव डाकघर में नहीं रखा जायेगा तथा अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

अनिल कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या व तद्दिनांक-उपर्युक्तानुसार।</u>

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. अनु सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार को उनके पत्र संख्या-यू014017/146/2019-एमई/।।-8035777, दिनांक 25.11.2022 के संदर्भ में।
3. वित्त नियंत्रक, निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, झांसी।
5. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, झांसी।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, झांसी।
7. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
8. नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अनिल कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in